**जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 03-06-2021**

आज दिनांक 03.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

**आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

**थाना दुधारा पुलिस द्वारा** आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता सागर पुत्र रामछैल निवासी मझौवा तरकारी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 185 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-** उ0नि0 श्री जनार्दन सिंह, का0 रोहित कुमार मौर्या।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार**

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

# <u>पीआरवी आफ द डे</u>

**<u>पीआरवी 1494 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल –</u>**
पीआरवी <u>1494</u> को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत घनवरियां से इवेन्ट संख्या 04370 से कालर ने मार्ग दुर्घटना होने से दो व्यक्तियों के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में मार्ग दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तिय़ों को जरिये एम्बुलेंस अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
**पीआरवी स्टाफ** –आ0 अजय राना, आ0 राजकिशोर, हो0गा0 मो0 रफीक।

## मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 128 वाहनो से 133700रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 128 वाहनो से 133700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।